16-3-15

उत्तर प्रदेश शासन,
पशुधन अनुभाग–2,
संख्या:167 / सैतीस–2–2015–1(68) / 12टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जनपद आजमगढ़ में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम गम्भीबन, परगना–निजामाबाद, तहसील–सदर, आजमगढ़ की 125.500 एकड़ भूमि भू–स्वामियों से आपसी समझौते के अन्तर्गत क्रय किये जाने हेतु राजस्व विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :–

1– जिलाधिकारी, आजमगढ़ – अध्यक्ष
2– अपर जिलाधिकारी, (भू–अर्जन)
अथवा
अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) – सदस्य
3– अपर निदेशक, ग्रेड–II, अजमगढ़ मण्डल – सदस्य
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ – सदस्य

उक्त क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत वर्ष 2013 के भू–अर्जन अधिनियम की धारा–26 से 30 के अन्तर्गत भूमि की दर नये अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सन्दर्भित राजस्व अनुभाग–13, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 22–10–2014 के अन्तर्गत दर के आधार पर आंगणित धनराशि व अनुसूची दो में अनुमन्य पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों के योग से अधिक नही होगा।

उक्त समिति उपरोक्तानुसार जनपद आजमगढ़ के ग्राम गम्भीरबन, परगना निजामाबाद, तहसील–सदर, आजमगढ़ में 125.500 एकड़ भूमि भू–स्वामियों से आपसी समझौते के अन्तर्गत भूमि क्रय किये जाने का प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करायेगी।

3[illegible]/DAH/123/15
अ0नि0(नि0)

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव।

12-03-2015

संख्या: 167(1) / सैतीस–2–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
(2) निदेशक, पशुपालन विभाग, उ. प्र., लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, आजमगढ़।
(4) जिलाधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि अपर जिलाधिकारी, भू–अर्जन अथवा अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व में से किसी एक को सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें।
(5) अपर निदेशक, ग्रेड–II, आजमगढ़ मण्डल।
(6) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सम्बन्धित से सम्पर्क कर भू–क्रय किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रण विजय सिंह)
उप सचिव।

श्री सुनील कुमार
16/3/2015